

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशोधन/ /2024, लखनऊ :: दिनांक 29 फरवरी, 2024

--:: संशोधित आदेश ::--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर पीठ मुजफ्फरनगर ने पत्र संख्या-71/2024 दिनांक 28.02.2024 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्यालय के आदेश सं0 142/2024 दिनांक 30.01.2024 द्वारा मुजफ्फरनगर में दिनांक 26.03.2024 से 28.03.2024 तक खण्ड पीठ का गठन किया गया है। मुजफ्फरनगर में दिनांक 26.03.2024 को स्थानीय अवकाश है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं0 142/2024 दिनांक 30.01.2024 द्वारा गठित खण्ड पीठ को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए, मुजफ्फरनगर में दिनांक 26-03-2024 से 28-03-2024 तक गठित युगल पीठ को निरस्त किया जाता है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-29.02.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/248/2024 दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, ~~लखनऊ~~ पीठ मुजफ्फरनगर एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, मेरठ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ